

मध्यप्रदेश विधान सभा

437

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 (चैत्र 12, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ब के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 21.3.97 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों संबंधी प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राज्य शासन के परिवर्तित निर्णय का जापान पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. माधवप्रसाद शास्त्री, सदस्य, दमोह जिले में बीड़ी श्रमिकों का शोषण होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन सिंह (त्योथर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चन्दपुर से ग्राम कोटरा कला तक सड़क का डामरीकरण तथा कोटरा कला से गढ़ी तक गिट्टीकरण कराये जाने ;

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम धनपुरी कुदराटोला में बिजली लगाये जाने ;

(ख) ग्राम रायपुर में बिजली लगाये जाने ;

(ग) शहडोल नगर स्थित होम्योपैथी औषधालय का उन्नयन किये जाने ; एवं

(घ) ग्राम पंचायत नवलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(3) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम खेरथा बाजार के टोला में बिजली लगाये जाने ;

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अवन्तिपुर बड़ोदिया में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(5) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरयुजा जिले के ग्राम डुमरिया तथा डबरा पारा के बीच गोवरी नदी पर पुल बनाये जाने ;

- (6) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल नगर की झुग्गी बस्ती वल्लभ नगर क्रमांक-2 की गटर लाइन की मरम्मत कराये जाने ;
- (7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पिपरिया परीहा के कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने ; तथा
- (8) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम इटुआ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ,

के संबंध में घाधिकारों प्रस्तुत करेगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. अशोक साबले, सदस्य, द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1998 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

निर्धारित
समय
30 मि.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 6 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश अब्यापारिक निगम (निरसन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 7 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(3) श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 9 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा
30 मि.

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, बनवारीताल अग्रवाल, मुनिराम साहू, रघुनन्दन शर्मा, डॉ. दालसिंह बिसेन, लल्लू सिंह, चौधरी राकेश सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, रामलखन सिंह (त्योथर), सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, चिरोजीताल सोनकर, बच्चन नायक, चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायेगे.

भोपाल :

दिनांक : 1 अप्रैल, 1998

के.पी. तिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा